न्यायालयः—श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर, जिला अशोकनगर म.प्र.

दिनांक :— 07/01/2026

—: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक :—

मुख्यालय अशोकनगर, ईसागढ़, मुंगावली व चन्देरी

मैं, *श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे*, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर जिला अशोकनगर, जिला अशोकनगर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य उचित रूप से कार्य वितरण होने के संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों (समस्त संशोधन सहित) को अधिष्ठित करते हुए धारा 12 एवं 13 बी.एन.एस.एस. में प्रदत्त शक्तियों के प्रावधान के तहत अशोकनगर जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन नीचे लिखे अनुसार आवंटन करती हूँ, जो दिनांक .... से अन्य आदेश होने तक निरंतर प्रभावशील रहेगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी	अधिकार क्षेत्र	क्र.	कार्य विवरण
1.	**श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर**	संपूर्ण जिला अशोकनगर	1.	अशोकनगर जिले के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण।
			2.	बालक श्रम (प्रतिवेदन एवं विनियमन अधिनियम) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।
			3.	उन सभी आपराधिक प्रकरणों का निराकरण, जिसका वर्णन इस पत्रक में न हो।
			4.	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मामले (संपूर्ण जिला अशोकनगर)
			5.	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के मामले (तहसील अशोकनगर, नापतौल अधिनियम के संबंधित प्रकरण (तहसील अशोकनगर)
			6.	स्मगलिंग (तस्करी) एक्ट के मामले (संपूर्ण अशोकनगर जिला)
			7.	संपूर्ण अशोकनगर जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 450 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			8.	संपूर्ण जिला अशोकनगर के सभी थानों से संबंधित खारजी आवेदन।
			9	संपूर्ण जिला अशोकनगर के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगासा/परिवाद पत्र।
			10	खाद्य औषधि मिश्रण अधिनियम से उत्पन्न मामले (संपूर्ण अशोकनगर जिला)
		आरक्षी केन्द्र **1.** कोतवाली, **2.** देहात **3.** आबकारी वृत्त अशोकनगर	1.	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात अशोकनगर एवं आबकारी वृत्त अशोकनगर से (महिलाओं तथा ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण तथा खात्मा प्रतिवेदन, समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
		आर.टी.ओ. अशोकनगर	1.	अशोकनगर राजस्व जिले से संबंधित रीजनल, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी अशोकनगर की ओर से प्रस्तुत समस्त इस्तगासा प्रकरण।

		कृषि उपज मंडी, अशोकनगर	1.	कृषि उपज मंडी अशोकनगर के क्षेत्राधिकार अशोकनगर से उद्भूत कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		नगर पालिका परिषद अशोकनगर	1.	नगर पालिका परिषद अशोकनगर से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के इस्तगासा प्रकरण।
2.	**श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र शाढौरा एवं जी.आर.पी.**	1.	थाना शाढौरा एवं जी.आर.पी. क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2.	थाना शाढ़ौरा से संबंधित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, विविध परिवाद, घ रेलू हिंसा आदि महिलाओं संबंधी समस्त प्रकरणों का विचारण।
			3.	थाना शाढौरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के परिवाद।
			4.	थाना शाढौरा क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5.	थाना शाढौरा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			6.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		रेंज अशोकनगर	1	**माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्र0 सी/6169/तीन–6–6/90 जबलपुर, दिनांक 17.09.2025 के द्वारा वन विभाग से संबंधित रेंज अशोकनगर के संपूर्ण प्रकरण का विचारण।**
3.	**सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र महिला अशेकनगर**	1.	थाना महिला क्षेत्र से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2.	थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3.	जिला अशोकनगर के कन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका की सीमाओं एवं जिला मुख्यालय अशोकनगर की तहसील की सीमाओं को छोडकर थाना नईसराय, क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पत्नी, संतान और माता–पिता के **भरण–पोषण**) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			4.	थाना नईसराय, कोतवाली एवं देहात से संबंधित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध परिवाद, घरेलू हिंसा आदि महिलाओं संबंधी प्रकरणों का विचारण।
			5.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

4	**सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र कचनार**	1. थाना कचनार से उत्पन्न होने वाले अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।ण।
			2. थाना कचनार से संबंधित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, विविध परिवाद, घ रेलू हिंसा आदि महिलाओं संबंधी समस्त प्रकरणों का विचारण।
			3. थाना कचनार के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के परिवाद।
			4. थाना कचनार क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5. थाना कचनार क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			6. थाना कचनार से संबंधित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, विविध परिवाद, घ रेलू हिंसा आदि महिलाओं संबंधी समस्त प्रकरणों का विचारण।
5.	**श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र नईसराय**	1. थाना नईसराय क्षेत्र से संबंधित समस्त अभियोग पत्र (महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर), खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2. **थाना कोतवाली, देहात एवं नईसराय एवं आबकारी वृत अशोकनगर** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3. थाना **कोतवाली, देहात एवं नईसराय** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र।
			4. थाना नईसराय क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5. जिला जेल अशोकनगर में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित धारा–196 बी.एन.एस.एस. के तहत् न्यायिक जांच।
			6. आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं देहात से संबंधित प्रकरणों में अपील/निगरानी, माननीय अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन एवं उक्त आरक्षी केन्द्रों से जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट का निराकरण एवं समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण।
		1.यातायात थाना (आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले)	1. थाना क्षेत्र से संबंधित अभियोग पत्र।
6.	**श्री अंशुल जैन जे.एम.एफ.सी., ईसागढ**	**आरक्षी केन्द्र 1–ईसागढ़,**	1. थाना ईसागढ, कदवाया से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के

	जिला अशोकनगर	**2—कदवाया**		महिलाओं से संबंधित आपराधिक एवं विविध प्रकरण।
			2.	थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले NDPS *एक्ट* के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3.	थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र।
			4.	थाना क्षेत्रों से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
7.	**श्रीमती पारूल चौकसे जे.एम.एफ.सी. मुंगावली, जिला अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र मुंगावली ,**	1	थाना मुंगावली क्षेत्र से संबंधित अभियोग पत्र एवं महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध आपराधिक प्रकरण।
			2	म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के थाना क्षेत्र व आबकारी विभाग से संबंधित आबकारी प्रकरण।
			3	थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले NDPS *एक्ट* के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			4	थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र।
			5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
8.	**सुश्री अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली**	**आरक्षी केन्द्र बहादुरपुर**	1	थाना बहादुरपुर क्षेत्र से संबंधित अभियोग पत्र एवं महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध आपराधिक प्रकरण।
			2	म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के थाना क्षेत्र व आबकारी विभाग से संबंधित आबकारी प्रकरण।
			3	थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले NDPS *एक्ट* के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			4	थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र।
			5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
9.	**सुश्री द्रुतिका उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली**	**आरक्षी केन्द्र सेहराई**	1.	थाना सेहराई क्षेत्र से संबंधित अभियोग पत्र एवं महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध आपराधिक प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक)	2	आरक्षी केन्द्र पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले **समस्त अभियोग पत्र,** एवं थाना क्षेत्र **पिपरई के** महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, खात्मा प्रतिवेदन, प्राइवेट परिवाद पत्र, समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			3.	थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले NDPS *एक्ट* के अल्प मात्रा

				से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			4.	थाना क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण
			5.	थाना क्षेत्राधिकारी से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र।
			6.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
10	**श्री महेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. चंदेरी**	**आरक्षी केन्द्र चंदेरी**	1.	थाना चन्देरी क्षेत्र से संबंधित समस्त अभियोग पत्र (महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोडकर), खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2.	थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3.	म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के थाना क्षेत्र व आबकारी विभाग चंदेरी से संबंधित समस्त आबकारी प्रकरण।
			4.	थाना क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट से संबंधित परिवाद पत्र।
			5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
11	**सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी., चंदेरी**	**पिपरई** (तहसील चंदेरी की सीमा तक)	1	आरक्षी केन्द्र पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र, थाना क्षेत्र **पिपरई** महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, खात्मा प्रतिवेदन, प्राइवेट परिवाद पत्र, समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2.	थाना **चन्देरी** से संबंधित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध परिवाद, घरेलू हिंसा आदि महिलाओं संबंधी प्रकरणों का विचारण।
			3.	थाना क्षेत्र पिपरई से उद्भूत होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			4.	म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के थाना पिपरई क्षेत्र से संबंधित प्रकरण।
			5.	थाना पिपरई क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट से संबंधित परिवाद पत्र।
			6.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

टीप एवं आवश्यक निर्देश :–

1. इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2. आवश्यक आपराधिक कार्य से **तात्पर्य** पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा 478 एवं 480 बी.एन.एस.एसं. के तहत् के जमानत आवेदन एवं धारा 497/503 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अतिआवश्यक साक्षी (जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना संभव ना हो, तो उसका परीक्षण करना आदि है।) आवश्यक कार्य के अंतर्गत **संक्षिप्त विचारण**

प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होगें, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है, तो **ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगें तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होगें तथा संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड एवं अन्य पत्रावली तलब कर उसके अभिलेख में संलग्न किए जावें।**

3. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अंडर–ट्रायल अथवा 5 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी, चिकित्सक साक्षी या वृद्व असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्व बीमार या अत्यधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति में ऐसे साक्षियों के साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, की साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी / मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इनचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये, समझे जायेगें।

4. समस्त जे.एम.एफ.सी. यदि धारा 187(2) बी.एन.एस.एस. के तहत् पुलिस रिमांड स्वीकार करते हैं तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर की ओर आवश्यक रूप से भेजें।

5. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमांड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेगें।

6. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपील / पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालय से संबंधित है, उनमें माननीय अपील / पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय / आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भूत हुआ हो या जिससे संबंधित वह अभिलेख / प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी। धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों में भी संबंधित आरक्षी केन्द्र / थाना अधिकारिता के आधार पर कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

7. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, **के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का निराकरण या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा, जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा, जो पूर्व पीठासीन अधिकारी के स्थान पर पदस्थ हुआ है और यदि उक्त न्यायालय रिक्त है तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है। किन्तु थाना क्षेत्र कोतवाली एवं देहात को छोडकर) का क्षेत्राधिकार आवंटित है।** रिक्त न्यायालय के धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित गैर–मियादी वारंट की तामील की दशा में संबंधित थाना क्षेत्र आधार पर जिन मजिस्ट्रेट को वर्तमान में क्षेत्राधिकारिता आवंटित की गई है, उन्हीं के द्वारा उसमें विधिवत् कार्यवाही की जावेगी। यदि स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है, तब उससे संबंधित समस्त कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जावेगी।

8. ग्राम न्यायालय के अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यरत ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में समिल्लित नहीं माने जायेगें। ग्राम न्यायालय रिक्त होने की दशा में उन न्यायालयों के प्रभार उस मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के अतिरिक्त) के पास रहेगा। इसी प्रकार कनिष्ठ मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में प्रभार सूची–1 अनुसार रहेगा।

9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने संबंधित आरक्षी केन्द्रों की सीमा क्षेत्र में माह में न्यूनतम एक बार आवश्यक रूप से नियमानुसार **चलित न्यायालय** लगा सकेंगे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर को प्रेषित करेगें। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिये लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे की न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित न हो।

10. लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग पत्र, उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेगें, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रों से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है जब तक अलग

से आदेश न हो तथा ऐसे रिमांड पेपर्स पर संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालयों स्वतः अंतरित माने जावेगें।

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को देंगे तथा अत्यावश्यक होने पर ई–मेल, फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन से प्रभावित नहीं रहेंगे।

13. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी न्यायालय का कोई भी प्रस्तुत प्रकरण, परिवाद व आवेदन किसी भी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में अंतरित या सुपुर्द किये जा सकेंगे।

14. इस कार्य विभाजन–पत्र का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पडेगा, जो संबंधित न्यायालय के पूर्व से लंबित एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।

15. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होगें।

16. धारा 364 बी.एन.एस.एस. में उल्लेखित प्रावधानों का अनुसरण किया जावे।)

17. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **अनुलग्नक–एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा, आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य – रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण करेंगे।

18(अ). इस न्यायालय के सिवाय शेष सभी मजिस्ट्रेट अपनी–अपनी अधिकारिकता के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले NDPS एक्ट की धारा–52क के आवेदनों, जिनमें NDPS *पदार्थ की व्यावसायिक या मध्यम मात्रा* जप्त हुई है, का निराकरण कर धारा–52क की कार्यवाही संपादित करेंगे।

18(ब). NDPS एक्ट के ऐसे मामले जिनमें NDPS *पदार्थ की संक्षिप्त मात्रा/स्मॉल क्वांटिटी* जप्त हुई है, उन मामलों का विचारण उसी मजिस्ट्रेट द्वारा करना उचित नहीं है, जिसने ऐसे मामलों में धारा–52ए के प्रावधान अनुसार सैंपलिंग और इन्वेंटरी की कार्यवाही की है। अतः संक्षिप्त मात्रा से संबंधित मामलों में धारा–52ए की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी :–

क	थाना	मजिस्ट्रेट, जिसके द्वारा धारा–52ए की कार्यवाही की जाएगी।	ठीक पूर्ववर्ती कॉलम में उल्लेखित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर
1	कोतवाली (सभी प्रकृति की मात्रा)	श्री शुभम द्विवेदी अशोकनगर	सुश्री प्रिया चौहान अशोकनगर
2	देहात, जी.आर.पी. (सभी प्रकृति की मात्रा)	सुश्री सोनल गुप्ता अशोकनगर	श्री शुभम द्विवेदी अशोकनगर
3	नईसराय	श्रीमती हर्षिता शर्मा गौड़ अशोकनगर	श्री अंशुल जैन ईसागढ़
4	ईसागढ़, कदवाया	श्री शुभम द्विवेदी अशोकनगर	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)
5	शाढ़ौरा	सुश्री प्रिया चौहान अशोकनगर	सुश्री सोनल गुप्ता अशोकनगर
6	कचनार	श्री शुभम द्विवेदी अशोकनगर	सुश्री सोनल गुप्ता अशोकनगर
	बहादुरपुर	श्रीमती पारूल चौकसे, मुंगावली	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, मुंगावली

7	सेहराई एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक)	सुश्री अनु सिंघई, मुंगावली	सुश्री मानसी अग्निहोत्री, चंदेरी
8	मुंगावली	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय मुंगावली	श्री महेन्द्र सिंह, चंदेरी
9	चंदेरी	सुश्री मानसी अग्निहोत्री, चंदेरी	श्री अंशुल जैन ईसागढ़
10	पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक)	श्री महेन्द्र सिंह, चंदेरी	सुश्री अनु सिंघई, मुंगावली

23. **अशोकनगर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन अनुलग्नक–दो में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जावेंगे।**

24. **माननीय सत्र** न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किए जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

25. रिमाण्ड प्रपत्र एवं सुपुर्दगी प्रपत्र संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावे।

26. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के मेमोरेण्डम क्र. 1295/सी.जे.–II/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किए तो समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

27. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये।

यह आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश दिनांक 19/01/2026 से प्रभावशील माना जायेगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

(श्री सतीश चंद शर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर म.प्र.

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

पृष्ठाकंन कमांक 10/रीडर/2025 **अशोकनगर दिनांक 07/01/26**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर की ओर सादर प्रेषित।
4. श्रीमान प्रथम/द्वितीय/प्रथम के अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमान प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मुंगावली की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय चंदेरी जिला अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी अशोकनगर/चंदेरी/मुंगावली/ईसागढ की ओर सादर पालनार्थ।
8. कलेक्टर अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर की ओर संबंधित थानों के लिए सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला अशोकनगर।
11. अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय अशोकनगर।
12. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अशोकनगर/चंदेरी/मुंगावली/ईसागढ।
13. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका अशोकनगर।

14. श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग अशोकनगर।
15. नियंत्रक, नापतौल विभाग, अशोकनगर।
16. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अशोकनगर।
17. उपसंचालक खाद्य एवं औषधी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोकनगर।
18. जेल अधीक्षक, जिला जेल अशोकनगर।
19. न्यायालय अधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर।
20. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
21. प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर।
22. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

अनुलग्नक – 1

कार्यभार व्यवस्था

मुख्यालय अशोकनगर एवं ईसागढ

कार्य विभाजन पत्रक अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या अन्य कारण से अनुपस्थित होने की दशा में निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित कम के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक न्यायिक कार्य का निर्वहन किया जावेगा, अर्थात् कॉलम–1 की अनुपस्थिति में *प्रथम* प्रभार, उनकी अनुपस्थिति में *द्वितीय* प्रभार, उनकी अनुपस्थिति में *तृतीय* प्रभार, उनकी अनुपस्थिति में *चतुर्थ* प्रभार पीठासीन अधिकारी के तत्पश्चातवर्ती कमानुसार कार्यभार देखेंगें, अतिआवश्यक मामलों में ऐसे सभी मामलें सम्मिलित हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रकिया के दौरान आरोपी अपराध की स्वीकारोक्तियॉ करता है।

क.	1	2	3	4	5
	पीठासीन अधिकारी	**प्रथम प्रभार**	**द्वितीय प्रभार**	**तृतीय प्रभार**	**चतुर्थ प्रभार**
1	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे सी.जे.एम.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी..	श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी.	सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी
2	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)जे.एम.एफ.सी.	श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी.	सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी..	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे सी.जे.एम.
3	सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी..	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड) जे.एम.एफ.सी.	श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे सी.जे.एम.
4	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)जे.एम.एफ.सी.	सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी	श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी..	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे सी.जे.एम.
5	श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी.	सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड) जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे सी.जे.एम.
6	श्री अंशुल जैन जे.एम.एफ.सी. *ईसागढ*	श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी.	सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी

मुख्यालय मुंगावली

क3.	1	2	3	4
	पीठासीन अधिकारी	**प्रथम प्रभार**	**द्वितीय प्रभार**	**तृतीय प्रभार**
1.	श्रीमती पारूल चौकसे	सुश्री डॉ. अनु सिंघई	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय	श्री महेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी.

क्र3	1	2	3	4
.	जे.एफ.एफ.सी. मुंगावली	जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	चंदेरी
2.	सुश्री डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	श्रीमती पारूल चौकसे जे.एफ.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी
2	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	श्रीमती पारूल चौकसे जे.एफ.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी

मुख्यालय चंदेरी

1	श्री महेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	सुश्री डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	श्रीमती पारूल चौकसे जे.एफ.एफ.सी. मुंगावली
2.	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	श्री महेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	सुश्री डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	श्रीमती पारूल चौकसे जे.एफ.एफ.सी. मुंगावली

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

अनुलग्नक – 2(i)

धारा 183 बी.एन.एस.एस.

महिला संबंधी अपराधों से संबंधित मामलों में

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़), अशोकनगर	थाना कोतवाली, देहात अशोकनगर
2	सुश्री सोनल गुप्ता अशोकनगर	थाना कचनार, शाढौरा, नईसराय
3	सुश्री प्रिया चौहान, अशोकनगर	थाना ईसागढ़, कदवाया एवं महिला थाना अशोकनगर
4	श्रीमती पारूल चौकसे मुंगावली	थाना बहादुरपुर
5	सुश्री डॉ. अनु सिंघई, मुंगावली	थाना सेहराई, थाना पिपरई
6	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय मुंगावली	थाना मुंगावली, चन्देरी

टिप्पणी :–

1. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान अनुसार कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में अधिकारिता हो या न हो, किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। अतः उपरोक्त अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश की अनुपस्थिति की

दशा में *प्रथमतः* मुख्यालय पर उपलब्ध मजिस्ट्रेट वह धारा 183 बी.एन.एस.एस. के आवेदन का निराकरण करेंगे तथा यदि मामला उन्हीं के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उस थाना क्षेत्र के निकटतम स्थान पर पदस्थ उपलब्ध अन्य मजिस्ट्रेट उक्त प्रकृति के आवेदन का निराकरण करेंगे।

2. उपरोक्त सूची अनुसार धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत कथन लिपिबद्व करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके *प्रभार अनुसार महिला मजिस्ट्रेट* कथन ले सकेंगे।

3. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत कथन लेखबद्व करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो, तो उक्त कथन से संबंधित चालान अन्य महिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होगें।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

<u>अनुलग्नक – 2(ii)</u>

<u>धारा 183 बी.एन.एस.एस.,</u>

महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों को छोडकर शेष मामलों के लिए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन अभिलिखित करेंगे।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्री शुभम द्विवेदी, अशोकनगर	थाना ईसागढ, थाना–कदवाया, थाना कोतवाली, महिला थाना अशोकनगर, थाना देहात, कचनार, शाढौरा, जी.आर.पी. अशोकनगर
2.	श्री अंशुल जैन, ईसागढ	थाना नईसराय, थाना चन्देरी
3.	श्री महेन्द्र सिंह चन्देरी	थाना बहादुरपुर, मुंगावली, पिपरई, सेहराई

<u>टिप्पणी :–</u>

1. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान अनुसार कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में अधिकारिता हो या न हो, किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। अतः उपरोक्त अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश की <u>अनुपस्थिति की दशा में</u> प्रथमतः मुख्यालय पर उपलब्ध ऐसे मजिस्ट्रेट, जिन्हे उस मामले की विचारण की अधिकारिता नहीं है, वह धारा 183 भा.ना.सु.सं. के आवेदन का निराकरण करेंगे तथा यदि मामला उन्हीं के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उस थाना क्षेत्र के निकटतम स्थान पर पदस्थ उपलब्ध अन्य मजिस्ट्रेट उक्त प्रकृति के आवेदन का निराकरण करेंगे।

2. उपरोक्त सूची अनुसार धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लिपिबद्व करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे।

3. धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्व करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो, तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र